संख्या: 2/2015/ 60/पैंतीस-2-2015-3/16(29)/09

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनउ: दिनांक 05 फरवरी, 2015**

विषय- **"सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार " योजना के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा विकास खण्डों हेतु कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 279/एसएसएसपी सेल:27/2013, दिनांक 26.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा यू0पी0डेस्को से एच0पी0/डेल/एच0सी0एल0 ब्राण्ड के 68 कम्प्यूटर, 68 यू0पी0एस0, 68 एम0एस0आफिस साफ्टवेयर, 68 एण्टीवायरस साफ्टवेयर क्रय किये जाने हेतु रू0 79,43,200/- के व्यय का प्रस्ताव भेजते हुए प्रशासनिक स्वीकृति एवं शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यू0पी0डेस्कों से एच0पी0/डेल/एच0सी0एल0 ब्राण्ड के 68 कम्प्यूटर, 68 यू0पी0एस0, 68 एम0एस0आफिस साफ्टवेयर, 68 एण्टीवायरस साफ्टवेयर क्रय किये जाने पर अनुमानित व्यय होने वाली धनराशि रू0 79,43,200/- की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि रू0 79,43,200/- (रूपये उन्यासी लाख तेंतालिस हजार दो सौ मात्र) यू0पी0डेस्कों को भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम आहरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

(1) उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कम्प्यूटर का क्रय सुसंगत शासनादेशों, वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर क्रय हेतु दरें अनुमानित है अतएवं नियमानुसार निविदा से प्राप्त अन्तिम निर्धारित दर के आधार पर अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाय।

(4) प्रश्नगत कम्प्यूटर क्रय उपरान्त कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना का सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) प्रश्नगत धनराशि व्यय के उपरान्त यदि कोई शासकीय हानि/अनियमितता परिलक्षित होती है तो उसके लिए कार्यालय अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्किीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अर्न्तगत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

http://shiksandesh.up.nic.in/

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: एफ-ए-1-40 /दस-2015, दिनांक 03 फरवरी, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

संख्या: 2/2015/60 (1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

http://shasanadesh.up.nic.in/